

कार्यालय संचालक

संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

ब्लॉक-2, तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(Telephone-0771-2511974, email-dirfood.cg@nic.in, website-www.khadya.cg.nic.in)

क्रमांक 20 / संचा.-वि.स. / 2025

नवा रायपुर, दिनांक 28 / 11 / 2025

प्रति,

1. प्रबंध संचालक,
छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या.
अटल नगर, नवा रायपुर
2. प्रबंध संचालक,
अपेक्स बैंक,
अटल नगर, नवा रायपुर, छ.ग.
3. प्रबंध संचालक,
राज्य नागरिक आपूर्ति निगम,
अटल नगर, नवा रायपुर, छ.ग.

विषय :- विधानसभा प्रश्न क्रमांक 255 अतारांकित द्वारा डॉ. चरण दास महंत, सदस्य विधानसभा की जानकारी उपलब्ध कराने बाबत।

—00—

कृपया विषयांतर्गत विभाग से प्राप्त विधानसभा प्रश्न क्रमांक 255 अतारांकित की प्रति संलग्न है।

उपरोक्त विधानसभा प्रश्न का उत्तर 'यूनिकोड फॉन्ट' में (परिशिष्टों की जानकारी भी 'यूनिकोट फॉन्ट' में) दिनांक 03.12.2025 तक ई-मेल (dirfood.cg@nic.in) के माध्यम से हार्ड कॉपी एवं साफ्ट कॉपी सहित अनिवार्य रूप से भिजवाने का कष्ट करें। विधानसभा प्रश्न विभागीय वेबसाईट से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

सहायक संचालक

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : 09/12/2025

वर्ग : 2 सदन में उत्तर देने का दिनांक : 16/12/2025

विभाग का नाम : खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण

विषय : खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में अनुमानित धान उपार्जन

(अतारांकित प्रश्न क्रमांक : 255) डॉ. चरण दास महंत

क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की अनुमानित मात्रा क्या है? केंद्रीय पूल तथा राज्य पूल हेतु चावल का लक्ष्य क्या-क्या है? इसमें कितने-कितने धान का निराकरण होगा तथा अतिशेष धान का निराकरण किस तरह से होगा ? (ख) सूखत, मंडी लेबर चार्ज, सुरक्षा एवं रखरखाव तथा प्रशासनिक व्यय की दरें क्या-क्या है? इनमें से धान उपार्जन केन्द्रों (पैक्स) तथा संग्रहण केन्द्रों (विपणन संघ) को कितना-कितना दिया जाता है? आदेश/निर्देश की प्रतियां भी उपलब्ध कराएं। क्या सूखत का लाभ उपार्जन केन्द्रों को दिये जाने पर केंद्र सरकार का कोई निषेध है ? (ग) मंडी लेबर चार्ज किन-किन कार्यों हेतु कितना-कितना है? प्रशासनिक व्यय का उपयोग किन-किन कार्यों के लिए किया जा सकता है? क्या इस मद की राशि उपार्जन केन्द्रों के लिए खर्च नहीं की जा सकती है? यदि हां तो ऐसे निर्देश की प्रति उपलब्ध कराएं ?

Sent From : vidhan | Sent Date : 28/11/2025 10:47:42 |

Remark :

भा.क.पे.ड.
अपेक्षक
28/11/25
HAM